



RAEBARELI POLICE



दिनांक 28 जुलाई 2021

थाना जगतपुर

गैर-इरादतन हत्या करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 21.07.2021 को वादी श्री रणविजय यादव पुत्र रावेन्द्र कुमार निवासी बिछियावादी थाना जगतपुर जिला रायबरेली के लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या- 78/2021 धारा 323,504 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसमें मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 308 भा0द0वि0 की बढोत्तरी करते हुए उक्त मु0अ0सं0 221/2021 धारा- 323,504,308 भा0द0वि0 में तरमीम कराया था। दिनांक 22.07.2021 को ही वादी द्वारा वादी के भाई की मृत्यु इलाज के दौरान लखनऊ में हो जाने की सूचना थाने पर लिखित रूप से दी गयी जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त धारा-147,148,149,304 भादवि की बढोत्तरी की गयी थी।

पुलिस अधीक्षक रायबरेली के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली के कुशल नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी डलमऊ के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के अन्तर्गत आज दिनांक 28 जुलाई 2021 को थाना जगतपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1-अजय सिंह पुत्र स्व0 प्रेमपाल सिंह निवासी पूरे बैसन मजरे बिछियावादी थाना जगतपुर रायबरेली व 2-अनुज सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी दौलतपुर थाना जगतपुर जनपद रायबरेली को थानाक्षेत्र के पिछवारा चौराहे से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा मारपीट में प्रयुक्त डण्डों को अभियुक्तों की निशादेही पर बरामद किया गया जिन्हे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1-अजय सिंह पुत्र स्व0 प्रेमपाल सिंह निवासी पूरे बैसन मजरे बिछियावादी थाना जगतपुर जनपद रायबरेली।
- 2-अनुज सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी दौलतपुर थाना जगतपुर जनपद रायबरेली।

बरामदगी-

02 अदद डण्डा (घटना में प्रयुक्त)।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 विजय नारायण शुक्ला थाना जगतपुर रायबरेली।
2. का0 सौरभ यादव थाना जगतपुर रायबरेली।
3. का0 राहुल यादव थाना जगतपुर रायबरेली।
4. का0 पारस यादव थाना जगतपुर रायबरेली।



मीडिया सेल रायबरेली